न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 173 / 2023 प्रा0पत्र दिनांक– 11.02.2023

अनवान

सोहन लाल पुत्र नानुराम वगैरा **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

–:: आदेश ::–

प्रार्थी सोहन लाल पुत्र नानुराम ब्राहम्ण निवासी बी.303 गार्डन कोर्ट अमृतवाडी रोड क्रॉस टेम्बा हॉस्पीटल रोड भंयदयर वेस्ट थाणे महाराष्ट्र हाल थाणा के आराजी नम्बर 145 रकबा 0.2909 हैक्टर में आने जाने के रास्ते हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 251ए दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी एंव तहसीलदार करेड़ा की अभिशंषा का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा के आराजी नम्बर 274 रकबा 0.8979 हैक्टर मे से 0.0914 हैक्टर भूमि व अप्रार्थी सख्या 02 की आबादी भुमि के आ0 नम्बर 105 कुल रकबा 1.4543 हैक्टर किस्म आबादी में से 0.0488 हैक्टर प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग की जा रही है। रास्ते के रूप में सार्वजनिक उपयोग की होने तथा ग्राम वासियान एवं खातेदारों के खेतों पर आने–जाने के काम आ रहा हैं मौके पर रास्ता चालू हैं परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शें में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 ज्ञानगढ ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया हैं आबादी भूमि ख0नं0 105 मे रास्ता दर्ज करने के संबध मे ग्रम पंचायत थाणा की अन्नापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ही तहसीलदार करेड़ा ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार करेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा के आराजी नम्बर 274 रकबा 0.8979 हैक्टर मे से 0.0914 हैक्टर भूमि की वर्तमान मे प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुना राशी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष मे जमा करा राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में, संलग्न नक्शे में प्रस्तावित तरमीम अनुसार अंकन करावें एवं अप्रार्थी सख्या 02 की की सहमति के अनुसार आबादी भुमि के आ0 नम्बर 105 कुल रकबा 1.4543 हैक्टर किस्म आबादी में से 0.0488 हैक्टर मौके पर उक्तानुसार चालू रास्ते का राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में, संलग्न नक्शे में प्रस्तावित तरमीम अनुसार अंकन करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 14:24:27 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा